



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 पौष 1943 (श०)  
(सं० पटना 1076) पटना, शुक्रवार, 31 दिसम्बर 2021

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग  
(निबंधन)

vf/k l puk  
30 दिसम्बर 2021

सं० 10/मु०-मुद्रांक छूट-62/2020-5267—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल अधिनियम के अधीन तैयार की गयी फीस तालिका की मद सं०-A(1) के अधीन भुगतये फीस की अधिकतम सीमा निम्नवत् नियत करते हैं: —

| दस्तावेज का प्रकार                                                                                                                                                                                            | अधिकतम सीमा                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| औद्योगिक, खुदरा आवासीय अथवा वाणिज्यिक (Commercial) ऋण हेतु सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों/बैंकों के पक्ष में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-IA के Article-32(b) के अधीन यथावर्णित Further Charge विलेख। | 5000/-रु.<br>(पाँच हजार रुपए मात्र) |

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
**के० के० पाठक,**  
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

30 दिसम्बर 2021

सं० 10/मु०-मुद्रांक छूट-62/2020-5267—उपर्युक्त राज्यादेश का अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
**के० के० पाठक,**  
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

*The 30th December 2021*

No.- 10/मु0-मुद्रांक छूट-62/2020-5267— In exercise of the powers conferred under section-78 of the Registration Act 1908, the Governor of Bihar is pleased to fix the maximum limit of the fee payable under Article-A(1) of the Table of fees payable under the Act as follows: --

| Kind of Instrument                                                                                                                                                                                                 | Maximum fee                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Instrument of Further charge as described under Article 32(b) of the schedule IA of the Indian Stamp Act, 1899 in favour of public financial institution/banks for industrial, Retail Housing or Commercial loans. | Rs. 5000/-<br>(Rupees five thousand only) |

By the order of the Governor of Bihar,  
**K. K. Pathak,**  
*Additional Chief Secretary to Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1076-571+500-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>